



SSJH/5001/Acct/General

06 जून 2025

अभिभावक,

अनिवार्य सेवाओं के लिए फ्लैट-रेट शुल्क लागू करने के संबंध में

1. यह सूचित किया जाता है कि सैनिक स्कूल झांसी के लोकल बोर्ड ऑफ़ एडमिनिस्ट्रेशन (एलबीए) बैठक में सभी अनिवार्य सेवाओं के लिए फ्लैट-रेट शुल्क लागू करने का सर्वसम्मत निर्णय लिया है, जो सत्र (2025-26) से प्रभावी होगा।

2. सैनिक स्कूल सोसाइटी के नियमों एवं विनियमों के अनुसार, प्रत्येक कैडेट के लिए शैक्षणिक सत्र में 365 दिनों में से न्यूनतम 295 दिनों तक विद्यालय खुला रहता है। किंतु, कैडेटों द्वारा बार-बार अल्पकालिक छुट्टियां लेने के कारण निम्नलिखित आवश्यक संविदात्मक सेवाओं की संचालन क्षमता एवं वित्तीय स्थिरता प्रभावित हो रही है:

- भोजन की व्यवस्था (Catering Charges)
- लॉन्ड्री सेवा (Laundry Charges)
- बाल कटाई (Hair Cutting)
- दूरसंचार सुविधा (Telephone Charges)
- समाचार पत्र वितरण (Newspaper Charges)

3. ये सभी सेवाएं 295 कार्यदिवसों के आधार पर पूर्व निर्धारित दरों पर संचालित होती हैं, जो कैडेटों की पूर्ण उपस्थिति के आधार पर तय की जाती हैं।

4. कैडेटों की अनियमित उपस्थिति से सेवा की गुणवत्ता, शैक्षणिक अनुशासन तथा प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है। अनिवार्य सेवाओं के लिए फ्लैट-रेट शुल्क पूरे 295 कार्यदिवसों के लिए लिया जाएगा।

5. यह निर्णय विद्यालय के अनुशासन, सेवाओं की निरंतरता और सुव्यवस्थित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए लोकल बोर्ड ऑफ़ एडमिनिस्ट्रेशन (एलबीए) द्वारा लिया गया है। समस्त अभिभावकों से अनुरोध है कि उपरोक्त आदेशों का ससम्मान पालन सुनिश्चित करें।

-----sd-----
प्रशासनिक अधिकारी

प्रतिलिपि:

- (i) उप प्रधानाचार्य
- (ii) सीनियर मास्टर
- (iii) कक्षा अध्यापक (VII – XII)
- (iv) कॉर्टर मास्टर